GCMS-2024/141

किस्म मुकदमाः— धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

नम्बरः— 06/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गिरीराज सोढा बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी फलौदी)	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/1/2025	अपीलार्थी गिरीराज सोढा, निवासी सीजी—10 हाई कोर्ट कॉलोनी रातानाड़ा जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.08.2024 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी में विचाराधीन / निर्णित मुकदमा संख्या 209/2007 उनवान गिरधारी लाल बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 88,188 Rt Act की सम्पूर्ण पत्रावली प्रमाणित प्रति के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलौदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा जो सूचना चाही गई हैं जो न्यायालय के आदेश से हुआ है। न्यायालय में समक्ष रेवन्यु मेनूअल के आधार पर नकल आवेदन कर चाही गई सूचना प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नहीं है। राजस्थान सूचना आयोग के माननीय आयुक्त द्वारा श्रीमान दुर्गाराम बनाम उपखण्ड अधिकारी अपील संख्या CIC/JODH/A/2019/109681 में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि जहॉ पर प्रतिलिपि उपलब्ध करनों में संबध में नियमानुसार के तहत निर्धारित की हुई है। ऐसी स्थिति में सूचना के अधिकार 2005 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अपीलांट उपखण्ड कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है। अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। अपील फैसल होकर नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति संबधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। जिला कलक्टर फलौदी	